अध्याय - V

अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय-V: अन्य कर राजस्व !!

अ. भू-राजस्व

5.1 कर प्रशासन

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग[1] का विधिक ढ़ाँचा सचिव/आयुक्त द्वारा प्रशासित होता है। बंदोबस्ती के सभी महत्वपूर्ण मामलों, नीतियों का ढाँचा एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति के निर्णय सरकार के स्तर पर लिए जाते हैं। राज्य पाँच प्रमण्डलों[2] में विभाजित है, प्रत्येक के प्रमुख एक प्रमण्डलीय आयुक्त होते हैं एवं 24 जिलों[3] में विभाजित है, प्रत्येक के प्रमुख एक उपायुक्त होते हैं। जिला स्तर पर उपायुक्त को अपर उपसमाहर्त्ता/अपर उपायुक्त (अ.स./अ.उ.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिले अनुमण्डलों में विभाजित हैं, जिसके प्रमुख अनुमण्डल पदाधिकारी (अ.प.) होते हैं, जिनकी सहायता भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता (भू.सु.उ.स.) द्वारा की जाती है। अनुमण्डलों को अंचलों में विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख अंचल अधिकारी (अं.अ.) होते हैं।

भू-लगान, सलामी[4], व्यावसायिक/आवासीय लगान, सेस[5] इत्यादि भू-राजस्व के अंतर्गत अनेकों प्राप्तियाँ हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 2014-15 के दौरान ` 83.54 करोड़ का संग्रहण किया। वर्ष 2014-15 के दौरान हमने भू-राजस्व से संबंधित 307 इकाइयों में से 20 इकाइयाँ, जिनका राजस्व संग्रहण ` 5.69 लाख था, के नमूना जाँच में 178 मामलों में सन्निहित ` 3.89 करोड़ के उपकरों के बकाया पर सूद और/या उपकरों को नहीं/कम लगाया जाना, सलामी और व्यावसायिक लगान नहीं/कम निर्धारण करना, सन्निहित भूमि की बन्दोबस्ती नहीं किया जाना आदि का पता चला। यह 20 इकाइयों

---

1 बिहार कास्तकारी अधिनियम, 1985, छोटागानपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908, संथाल परगना अधिनियम, 1949, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950, बिहार भूमि सुधार (भू-हदबंदी क्षेत्र का निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961, बिहार भूदान अधिनियम, 1954, बिहार सरकार सम्पदा (खास महल), नियमावली, 1953, बिहार लोक अतिक्रमण अधिनियम, 1956, बंगाल अधिनियम, सेस 1880, समय-समय पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी अधिशासी आदेश।

2 दक्षिणी छोटानागपुर (राँची), उत्तरी छोटानागपुर (हजारीबाग), संथाल परगना (दुमका), पलामू (मेदिनीनगर) और कोल्हान (चाईबासा)।

3 बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, खूँटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावाँ, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम।

4 "सलामी" भूमि का बाजार मूल्य है।

5 शिक्षा सेस: लगान का 50 प्रतिशत, स्वास्थ्य सेस: लगान का 50 प्रतिशत, कृषि विकास सेस: लगान का 20 प्रतिशत और सड़क सेस: लगान का 25 प्रतिशत (कुल 145 प्रतिशत)।

द्वारा भू-राजस्व के संग्रहण के कर्त्तव्य का लगभग परित्याग को इंगित करता है जैसा कि **तालिका - 5.2** में वर्णित है-

तालिका – 5.2

(` करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं किया जाना	16	0.10
2	सैरातों का बदोबस्ती नहीं होना	9	0.02
3	अन्य मामले	153	3.77
कुल		**178**	**3.89**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 22 मामलों में ` 2.24 करोड़ का पट्टा नवीकरण नहीं किये जाने को स्वीकार किया।

इस अध्याय में दृष्टांतस्वरूप ` 2.24 करोड़ के वसूली योग्य वित्तीय प्रभाव के कुछ मामलों को हम प्रस्तुत करते हैं। अनुवर्ती कंडिकाओं में इनकी चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा अवलोकन

5.3 सलामी हेतु प्रावधानों का पालन नहीं होना

बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) हस्तक, 1953 और समय-समय पर जारी निर्देशों, जैसा झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया, प्रावधान करता है कि:

(i) आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नये पट्टों पर भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के बराबर सलामी के अतिरिक्त क्रमश: दो प्रतिशत एवं पाँच प्रतिशत की दर से वार्षिक लगान देय होगा; और

(ii) लीज के नवीकरण पर सलामी, दाण्डिक लगान एवं ब्याज का आरोपण।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का ठीक ढंग से पालन नहीं किया, जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व का उद्ग्रहण नहीं/कम हुआ जो अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं:

5.4 पट्टों का नवीकरण नहीं होने के कारण राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना

पट्टा नवीकरण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप सरकार को सलामी, दाण्डिक लगान एवं ब्याज के राजस्व से वंचित होना पडा।

हमने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता (भू.सु.उ.स.) के अधीन सिमडेगा जिले के 12 अंचल कार्यालयों में से, सिमडेगा अंचल कार्यालय के खास महल के पट्टा अभिलेखों का अक्टूबर 2014 में नमूना जाँच किया और पाया कि 102 पट्टों में से 2.44 एकड़ भूमि सन्निहित 22 पट्टे वर्ष 1960 से 1996 के मध्य समाप्त हो गये थे। हमने देखा कि पट्टों के नवीकरण के लिए न तो पट्टाधारियों ने निर्धारित समय में आवेदन दिया न ही विभाग ने खास महल अभिलेखों की समीक्षा की और पट्टाधारियों को नवीकरण हेतु आवेदन के लिए सूचनाएँ निर्गत की। यद्यपि, भू.सु.उ.स. द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर विभाग द्वारा पट्टाधारियों के नवीकरण के आवेदन हेतु वर्ष 2002-03 में सूचनाएँ निर्गत की गयी थी। तदनुसार, पट्टाधारियों ने पट्टों के नवीकरण हेतु अपनी सहमति समर्पित किया, परन्तु पट्टों का नवीकरण नहीं किया गया (अप्रैल 2015)। वास्तव में बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियमावली के नियम 9 और इसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) भूमि धारकों को अनाधिकार प्रवेशक माना जायेगा जिसमें यह अनुबंधित है कि यदि पट्टाधारी बिना लगान का भुगतान किये और बिना पट्टा का नवीकरण कराये पट्टावाली सम्पत्ति को रखता है तो, उसे अनाधिकार प्रवेश का दोषी माना जाएगा और पिछले बंधों और शर्त्तों पर नवीकरण का उसका कोई दावा नहीं होगा। इस प्रकार, विभाग द्वारा समय-समय पर संबंधित अभिलेखों की समीक्षा एवं उपर वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित समय में समाप्त पट्टों के नवीकरण के लिए कार्रवाई करने में असफल रहने के फलस्वरूप सलामी, दाण्डिक लगान एवं ब्याज के रूप में ` 2.24 करोड़ सरकारी राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा मामला बताये जाने के बाद भू.सु.उ.स., सिमडेगा ने अक्टूबर 2014 में कहा कि पट्टों के नवीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामला सरकार को मई 2015 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

ब. मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क

5.5 कर प्रशासन

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमावलियों तथा निबंधन अधिनियम, 1908 के द्वारा झारखण्ड राज्य में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एव संग्रहण शासित होता है। 15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड राज्य की स्थापना होने पर बिहार राज्य में विद्यमान अधिनियम, नियमावली एवं कार्यकारी आदेशों को झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया।

5.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

मुद्रांक एवं निबंधन विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान ` 530.67 करोड़ का संग्रहण किया। हमने मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस से संबंधित 46 इकाइयों में से 14 इकाइयों का नमूना जाँच किया। नमूना जाँच किये गये इकाइयों में 626 मामलों में ` 2.33 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण, परिसम्पत्तियों का अवमूल्यांकन आदि का पता चला, जैसा कि **तालिका - 5.6** में वर्णित है।

तालिका - 5.6

(` करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण	26	0.39
2	परिसम्पत्तियों का अवमूल्यांकन	7	0.42
3	अन्य मामले	593	1.52
कुल		**626**	**2.33**

वर्ष 2014-15 के दौरान विभाग ने हमारे द्वारा इंगित किये गये 37 मामलों में ` 35 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के कम आरोपण आदि को स्वीकार किया।

इस अध्याय में हम ` 29 लाख के वित्तीय प्रभाव के दृष्टांतस्वरूप मामले प्रस्तुत करते हैं, जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

5.7 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, (भा.मु.अधिनियम), निबंधन अधिनियम, 1908 तथा बिहार निबंधन नियमावली, 1937, बिहार निबंधन हस्तक, 1946 और बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यन की रोकथाम) नियमावली, 1995 (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के अधीन प्रावधान है:

(i) विनिर्दिष्ट दर से पंजीयन शुल्क का भुगतान; और

(ii) निष्पादक द्वारा विनिर्दिष्ट दर से मुद्रांक शुल्क का भुगतान।

हमने देखा कि निबंधन विभाग ने नीचे उल्लिखित मामलों में अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया:

5.8 अभिहस्तांतरण विलेख का विकास अनुबंध के रूप में गलत वर्गीकरण

एक जिला अवर निबंधक कार्यालय में 11 अभिहस्तांतरण विलेखों का विकास अनुबंधों के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ` 19.46 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमने जिला अवर निबंधन (जि.अ.नि.) का कार्यालय, धनबाद के पुस्त-I, फीस बहियों एवं मूल्यांकन पंजियों का नमूना जाँच (जुलाई 2014) किया और पाया कि इस कार्यालय में वर्ष 2012-13 के दौरान 11 विकास अनुबंधों का निबंधन किया गया। जमीन मालिक प्रतिफल प्राप्त करने के बदले में विकसित भूमि का एक भाग प्राप्त करने के अधिकारी थे। विकासकों को अपने हिस्से की विकसित भूमि को जमीन मालिकों के सहमति के बिना अपनी सुविधानुसार, जैसा उचित समझे, निपटारे करने का हक था। हमारे द्वारा दस्तावेजों की आगे जाँच में उद्घटित हुआ कि जमीन मालिकों ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार विकासकों को भूमि पर निर्माण, विकास एवं भूमि का व्यवसाय के लिए भूमि पर स्वत्वाधिकार हेतु प्राधिकृत किया। इसलिए इन दस्तावेजों को विकास अनुबंधों के बदले अभिहस्तांतरण अभिलेखों की तरह निबंधित किए जाने की आवश्यकता थी। क्योंकि किसी दस्तावेज का वर्गीकरण उसमें अभिलेखित संव्यवहार की प्रवृति पर निर्भर है, जैसा कि भा.मु. अधिनियम, 1899 की धारा 2(10) में अनुबद्ध है। परन्तु इन दस्तावेजों को गलत प्रतिफल मूल्य अर्थात् विकासकों को हस्तांतरित भूमि का मूल्यांकन पंजी के आधार पर निबंधित किया गया। विभाग ने ` 3.44 करोड़ के प्रतिफल मूल्य पर ` 24.07 लाख के बदले ` 20.91 लाख के सामान्य अनुबंधों की तरह अग्रिम पर ` 4.61 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस आरोपित किया। जिसके परिणामस्वरूप बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य का प्रयोग करते हुए निर्धारित प्रतिफल पर ` 8.34 लाख के निबंधन फीस सहित ` 19.46 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को अगस्त 2014 में बताये जाने के बाद जि.अ.नि. धनबाद ने जून 2015 में कहा कि सूचनाएँ निर्गत की गयी और दो मामलों में ` 2 लाख की वसूली की गयी है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामला सरकार को अप्रैल 2015 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका संख्या 6.7.4 में सदृश मामला बताया गया था, सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन/अपार्टमेंट/निर्माण परियोजना व कुल अनुमानित लागत का दो प्रतिशत निबंधन फीस के आरोपण को अक्टूबर 2014 में निबंधन अधिनियम, 1908 (1908 का xvi) के अधीन अनुच्छेद ई (1) में एक प्रावधान सम्मिलित करते हुए फीस तालिका को संशोधित किया।

5.9 पट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना

आँकड़ा/सूचना का अन्तर्विभागीय आदान-प्रदान हेतु तंत्र के अभाव होने के परिणामस्वरूप अंचल कार्यालय, नगर परिषद, पंचायतों आदि के द्वारा निष्पादित पट्टों का निबंधन नहीं किया गया और परिणामत: ` 9.77 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं हुआ।

हमने छ: कार्यालयों[6] से सैरात (राजस्व अर्जित करने वाले हाट, बाजार, मेला, वृक्ष, नावघाट आदि के संबंध में अधिकार एवं हित) के बंदोबस्ती से संबंधित सूचना प्राप्त किया और संबंधित चार जि.अ.नि.[7] के अभिलेखों से तिर्यक-जाँच (जून एवं अक्टूबर 2014 के मध्य) किया। जिससे उद्घटित हुआ कि 29 सैरातों में से 17 सैरातों की बन्दोबस्ती 2012-13 और 2013-14 में विभिन्न डाकवक्ताओं के साथ एक वर्ष से अधिक या वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर किया गया। परन्तु निबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इनका निबंधन नहीं किया गया। जिसके अंतर्गत वर्ष प्रति वर्ष या एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए या वार्षिक रक्षित किराये वाले अचल सम्पत्ति के पट्टों का निबंधन कराया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार, इन दस्तावेजों का निबंधन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ` 4.88 लाख का निबंधन फीस सहित ` 9.77 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा मामले को जून एवं अक्टूबर 2014 के बीच बताये जाने पर, जि.अ.नि. ने जून एवं नवम्बर 2014 के बीच कहा कि संबंधित विभागों के साथ पत्राचार किया जायेगा और तदनुसार कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

[6] अंचल अधिकारी, चतरा एवं कोडरमा, नगर परिषद चतरा, नगर पंचायत खूँटी, कोडरमा एवं सिमडेगा।

[7] चतरा, खूँटी, कोडरमा एवं सिमडेगा।

हमने सरकार को अप्रैल 2015 में मामला प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका संख्या 5.11 में सदृश मामला बताया गया था, सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (जून 2014) कि संबंधित दस्तावेज निबंधन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे। संबंधित जिलों के उपायुक्तों को बंदोबस्ती के पूर्व पट्टा दस्तावेज निबंधन करवाने हेतु निर्देश दिया गया।

स. विद्युत पर कर एवं शुल्क

5.10 कर प्रशासन

जून 2011 में झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत वाणिज्यकर विभाग विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। सचिव-सह-आयुक्त वाणिज्यकर विभाग जिनको एक अपर आयुक्त, तीन वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त (वा.क.सं.आ.), तीन वाणिज्यकर उपायुक्त (वा.क.उ.) एवं दो वाणिज्यकर सहायक आयुक्त (वा.क.स.आ.) द्वारा सहयोग किया जाता है, अधिनियम एवं नियमावलियों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं। राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमण्डलों[8], प्रत्येक के प्रभारी एक वा.क.स.आ. (प्रशासन) एवं 28 अंचलों, प्रत्येक के प्रभारी एक वा.क.आ/वा.क.स.आ. में विभाजित है। वा.क.उ./वा.क.स.आ. विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं जिन्हें वाणिज्यकर पदाधिकारियों द्वारा सहयोग किया जाता है।

5.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 की अवधि में विद्युत शुल्क (वि.शु.) का संग्रहण ` 175.40 करोड़ था। 2014-15 में विद्युत शुल्क से संबंधित 28 वाणिज्यकर अंचलों में से तीन वाणिज्यकर अंचलों[9] के अभिलेखों के हमारे नमूना जाँच से 15 मामलों में ` 22.86 करोड़ के शुल्क और कर के नहीं/कम आरोपण का पता चला जैसा कि **तालिका - 5.11** में वर्णित है।

तालिका - 5.11

(` करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	विद्युत शुल्क का कम आरोपण	6	15.26
2	अधिभार का नहीं/कम आरोपण	6	7.30
3	अन्य मामले	3	0.30
कुल		**15**	**22.86**

वर्ष के दौरान विभाग ने 2014-15 में बताये गये एक मामले में ` 1.39 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं अधिभार के कम आरोपण आदि को स्वीकार किया।

अध्याय के इस भाग में हम ` 11.18 करोड़ के वित्तीय प्रभाव का दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले प्रस्तुत करते हैं, जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

[8] धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची एवं संथाल परगना (दुमका)।

[9] हजारीबाग, झरिया एवं तेनुघाट।

5.12 अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना

बिहार विद्युत शुल्क (बि.वि.शु.) अधिनियम, 1948 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, के प्रावधानों के अंतर्गत खनन प्रयोजनों के लिए विद्युत शुल्क की दर 15 पैसे प्रति इकाई और अधिभार विद्युत उर्जा के उपयोग या खपत का 2 पैसा प्रति इकाई की दर से भुगतेय होगा। जून 2011 से दर को संशोधित किया गया, यथा खनन प्रयोजनों के लिए विद्युत शुल्क 20 पैसा प्रति इकाई की दर पर एवं (बि.वि.शु.) अधिनियम, 1948, की धारा 3(ए) के अनुसार विद्युत उर्जा के उपयोग या खपत पर 2 पैसा प्रति इकाई की दर से आरोप्य अधिभार को झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा समाप्त कर दिया गया। बि.वि.शु. अधिनियम, 1948 एवं बिहार विद्युत शुल्क (बि.वि.शु.) नियमावली, 1949, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, ने करनिर्धारण पर अंतिम निर्णय लेने हेतु समय सीमा विहित नहीं किया। तथापि, झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) नियमावली, 2012 के नियम 12 (यथा संशोधित), 18 जून 2012 से प्रभावी, वार्षिक विवरणी दाखिल करने के 18 महीने के अन्दर करनिर्धारकों के करनिर्धारण को पूर्ण करने का प्रावधान करता है।

हमने पाया कि वाणिज्यकर विभाग ने अनुवर्ती कंडिका में वर्णित मामले में अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

5.13 विद्युत शुल्क एवं अधिभार का नहीं/कम भुगतान के लिए अर्थदंड का आरोपण नहीं किया जाना

विद्युत शुल्क एवं अधिभार का भुगतान नहीं/कम किये जाने पर बि.वि.शु. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ` 7.35 करोड़ का अर्थदण्ड यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों[10] में फरवरी एवं दिसम्बर 2014 के बीच करनिर्धारण अभिलेखों से पाया कि सात निर्धारितियों ने 2005-06 एवं 2012-13 के बीच की अवधि के दौरान 122.49 करोड़ इकाई विद्युत उर्जा के खपत के लिए विद्युत शुल्क एवं अधिभार के रूप में ` 12.37 करोड़ की माँग के विरूद्ध ` 8.67 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार, ` 3.70 करोड़ का विद्युत शुल्क एवं अधिभार का नहीं/कम भुगतान किया जिसके लिए निर्धारितियों को (बि.वि.शु.) अधिनियम, 1948 की धारा 5 ए(2) के प्रावधानों के अंतर्गत पहली तिमाही के प्रत्येक महीने या इसकी आंशिक अवधि के लिए शुल्क/अधिभार की राशि का पाँच प्रतिशत तक परन्तु ढाई प्रतिशत से कम नहीं, और प्रत्येक अनुवर्ती महीने या उसकी आंशिक अवधि के लिए दस प्रतिशत तक परन्तु पाँच प्रतिशत से कम नहीं, का अर्थदण्ड भुगतेय था। करनिर्धारण प्राधिकारियों (क.नि.प्रा.) के द्वारा भी अर्थदण्ड के भुगतान के लिए माँग

[10] राज्य के 28 अंचलों में से हजारीबाग, झरिया एवं तेनुघाट।

सृजित नहीं किये जाने के फलस्वरूप ` 7.35 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ **(परिशिष्ट-XV)।**

बि.वि.शु. अधिनियम, 1948 की धारा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत आरोपित कोई शुल्क या अर्थदण्ड, जिसका भुगतान नहीं किया गया है, भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने पर करनिर्धारण प्राधिकारियों ने फरवरी 2014 एवं जनवरी 2015 के मध्य कहा कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। करनिर्धारण प्राधिकारी तेनुघाट ने मामले की समीक्षा की और जुलाई 2014 में एक निर्धारिती को ` 1.39 करोड़ का माँग पत्र निर्गत किया। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने सरकार को मई 2015 में मामला प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका संख्या 6.10.16.2 में सदृश मामला बताया गया था, सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि अग्रेतर कार्रवाई के लिये निर्धारितियों को सूचनाएँ निर्गत कर दी गयी है।

5.14 विद्युत शुल्क एवं अधिभार का नहीं/कम आरोपण

खनन प्रयोजन के स्थान पर औद्योगिक प्रयोजन के लिए लागू दर से विद्युत शुल्क आरोपित किया गया एवं अधिभार का आरोपण नहीं किया गया।

5.14.1 हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों[11] में फरवरी एवं दिसम्बर 2014 के बीच करनिर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया और पाया कि पाँच निर्धारितियों ने 2006-07 से 2012-13 के दौरान 29.91 करोड़ इकाई विद्युत उर्जा का खपत खनन प्रयोजन के लिए किया। न्यायिक निर्णय[12] के अनुसार जब खान से अयस्क उत्सर्जित होकर, धोकर, छनकर, संवार कर, ढेर कर खनन स्थल पर रखा जाता है तब खनन प्रक्रिया समाप्ति होती है। किन्तु करनिर्धारण प्राधिकारियों ने खनन प्रयोजन के बदले औद्योगिक प्रयोजन पर लागू कम दर से विद्युत शुल्क आरोपित किया जिसके फलस्वरूप ` 2.44 करोड़ की विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने पर करनिर्धारण प्राधिकारियों ने फरवरी 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच कहा कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

5.14.2 हमने वाणिज्यकर अंचल, झरिया के करनिर्धारण अभिलेखों का अक्टूबर एवं नवम्बर 2014 के बीच नमूना जाँच किया और पाया कि तीन निर्धारितियों ने

[11] हजारीबाग, झरिया एवं तेनुघाट।

[12] चौगले एण्ड कं. बनाम भारत संघ (1981) 47 एस.टी.सी. 124 एस.सी.।

2006-07 एवं 2010-11 के मध्य अवधि के दौरान 69.17 करोड़ की विद्युत उर्जा की खपत से संबंधित विवरणियाँ दाखिल की। हमने आगे पाया कि निर्धारितियों ने खपत किये गये उर्जा के लिए ` 6.71 करोड़ का विद्युत शुल्क का भुगतान किया परन्तु अधिभार का भुगतान नहीं किया, जैसा कि बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, के प्रावधानों के अनुसार उपयोग में लाये गये या बेची गई उर्जा पर देय शुल्क के अतिरिक्त दो पैसे प्रति इकाई की दर से अधिभार के भुगतान का प्रावधान है। करनिर्धारण प्राधिकारियों द्वारा भी अधिभार के भुगतान के लिए माँग सृजित नहीं किये जाने के फलस्वरूप ` 1.39 करोड़ के अधिभार का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने पर क.नि.प्रा. ने नवम्बर 2014 में कहा कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने सरकार को मई 2015 में मामला प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका संख्या 6.10.12.2 एवं 6.10.12.3 में सदृश मामला बताया गया था, सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि अग्रेतर कार्रवाई के लिये निर्धारितियों की सूचनाएँ निर्गत कर दी गयी है।

विभाग का मुख्य ध्यान मू.व.क./के.बि.क. के प्रशासन, जिसके लिए समयबद्ध रीति से करनिर्धारणों को संपन्न किया जाना है, पर केंद्रित है। इसने बि.वि.शु. अधिनियम के प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को इंगित किया।